<u>राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड</u>

<u>61वीं बैठक दिनांक 24 मई, 2017 से संबंधित कार्य बिन्दुओं पर कृत कार्रवाई</u>

क्र.सं	कार्य बिन्दु	कृत कार्रवाई
1	**राज्य सरकार से संबंधित कार्य बिंदुओं का विवरण** : **क**) प्रमुख सचिव (ग्राम्य विकास एवं एम.एस.एम.ई.), उत्तराखंड शासन द्वारा अपर सचिव (वित्त), उत्तराखंड शासन को दिए गए निर्देशों के अनुरूप बैंकों द्वारा कृषि ऋणों के विरुद्ध **"भूमि अभिलेखों पर ऑन-लाइन प्रभार"** अंकित करने हेतु दो वर्ष पूर्व से ही तहसील डोईवाला एवं विकास नगर में बैंकों द्वारा पायलट आधार पर सफलतापूर्वक प्रयोग किए जा रहे वेब एप्लीकेशन को, दैनिक आधार पर तहसील स्तर पर डाटा अपडेट करते हुए पूर्ण राज्य में लागू किए जाने हेतु यथाशीघ्र मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में सचिव **(**राजस्व**),** एन.आई.सी. एवं प्रमुख बैंकों की बैठक कर संबंधित विषय को महोदय के सम्मुख रखते हुए, सहमत होने की स्थिति में, वांछित अनुमोदन प्राप्त किया जाना है।	**क**) **शासन स्तर से कार्यवाही प्रतीक्षित है।**
	ख बैंकों द्वारा **"वसूली प्रमाण पत्र"** को ऑन-लाइन फाईल करने से संबंधित एन.आई.सी. द्वारा तैयार सॉफ्टवेयर शासन द्वारा बैंकों के उपयोगार्थ जारी किया जाना है।	**ख**) इस विषयक दिनांक 19.07.2017 को आयोजित कार्यशाला में एस.बी.आई., पी.एन.बी. एवं बी.ओ.बी. तथा राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के सम्मुख एन.आई.सी. द्वारा वसूली प्रमाण पत्रों को ऑन-लाइन फाईल संबंधित वेब एप्लीकेशन, जिसमें पूर्व की कार्यशाला दिनांक 27.04.2017 तथा 11.05.2017 में बैंकों द्वारा अपेक्षित समस्त सुधारों को सम्मिलित किया गया था, का प्रस्तुतीकरण किया गया। सभी प्रतिभागियों द्वारा वेब एप्लीकेशन के प्रस्तुतीकरण पर सहमति व्यक्त की गयी। तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. द्वारा अवगत कराया गया कि बैंकों तथा राजस्व बोर्ड से **User Acceptance Certificate (UAC)** प्राप्त किया जाना है, जिसके उपरांत राजस्व बोर्ड द्वारा वेब एप्लीकेशन का सिक्योरिटी ऑडिट कराया जाएगा। तत्पश्चात ही वेब एप्लीकेशन को बैंकों

<table>
<tr><td></td><td>ग) वित्तीय वर्ष 2017-18 में विकास योजनाओं से संबंधित विभागों द्वारा सरकार प्रायोजित ऋण योजनाओं के तहत प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय त्रैमास में क्रमश: 33%, 33% एवं 34% के अनुपात में ऋण आवेदन पत्रों को बैंक शाखाओं को प्रेषित किया जाना है।</td><td>के प्रयोग करने संबंधी अधिसूचना शासन द्वारा जारी की जा सकेगी।

ग) संबंधित विभागों द्वारा वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष बैंक शाखाओं को ऋण आवेदन पत्रों का प्रेषण किया जाना सूचित किया गया है।</td></tr>
<tr><td>2</td><td>बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबंधक हेतु कार्य बिंदु का विवरण :
क) समस्त बैंक वित्तीय वर्ष 2017-18 में सरकार प्रायोजित विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत बैंक शाखाओं को प्राप्त आवेदन पत्रों का भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारित समय सीमा के अंदर अनिवार्य रूप से निस्तारित करना सुनिश्चित करें।

ख) समस्त बैंक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हेतु एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर, जो अपनी बैंक शाखाओं की योजनांतर्गत प्रगति की निगरानी का कार्य करेगा, इसकी सूचना राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड को उपलब्ध कराएं। साथ ही वे कैम्प लगाकर योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को ऋण प्रदान करें।

ग) सभी बैंक स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक प्रत्येक बैंक शाखा हेतु निर्धारित कम से कम एक महिला तथा एक अनुसूचित जाति अथवा जनजाति के व्यक्ति को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति करना सुनिश्चित करें।</td><td>क) इस विषयक बैंक नियंत्रकों द्वारा सूचित किया गया है कि उनके द्वारा अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

ख) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तराखंड द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हेतु समस्त बैंकों से उनके नोडल अधिकारियों की सूची प्राप्त कर एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर अपलोड करा दी गई है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम त्रैमास की समाप्ति तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अन्तर्गत सभी बैंकों द्वारा निम्नवत् प्रगति दर्ज की गई है।
<table>
<tr><th></th><th>खातों की संख्या</th><th>ऋण राशि (₹ करोड़ में)</th></tr>
<tr><td>शिशु</td><td>7224</td><td>24.12</td></tr>
<tr><td>किशोर</td><td>6489</td><td>128.94</td></tr>
<tr><td>तरुण</td><td>1619</td><td>112.93</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>15332</td><td>265.99</td></tr>
</table>
ग) स्टैण्ड अप इण्डिया योजना के अंतर्गत सभी बैंकों द्वारा 30 जून, 2017 तक निम्नवत् प्रगति दर्ज की गई है।
<table>
<tr><th></th><th>खातों की संख्या</th><th>ऋण राशि (₹ करोड़ में)</th></tr>
<tr><td>महिला</td><td>515</td><td>112.89</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जाति</td><td>68</td><td>14.86</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जनजाति</td><td>35</td><td>6.69</td></tr>
<tr><td>योग</td><td>618</td><td>134.28</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

	घ) कनेक्टिविटी रहित ऐसे एस.एस.ए. जिनके लिए वी.-सैट के आर्डर दिए जाने का कार्य लम्बित है, उनके आर्डर संबंधित बैंकों द्वारा यथाशीघ्र प्रेषित किए जाएं। साथ ही दिनांक 30 **जून**, 2017 तक कनेक्टिविटी रहित एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापित करने के कार्य को संबंधित बैंकों द्वारा अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए।	**घ**) बैंकों से प्राप्त सूचना के अनुरूप **30** जून, **2017** तक कनेक्टिविटी रहित **794** एस.एस.ए. में से **743** एस.एस.ए. के लिए वी.-सैट के आर्डर प्रेषित किए जा चुके हैं तथा **396** एस.एस.ए. में वी.-सैट स्थापित करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
	ङ) सभी बैंक प्रधानमंत्री जन-धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में शत प्रतिशत आधार सीडिंग का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण करना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत जिन व्यक्तियों की बीमा पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं हुआ उन्हें पुन: योजना में सम्मिलित करने के प्रयास किए जाएं।	**ङ**) बैंक नियंत्रकों द्वारा अवगत कराया गया है कि इस विषयक उनके द्वारा अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को समुचित दिशानिर्देश पुन: जारी कर दिए गए हैं।
	च) समस्त बैंक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना - खरीफ **2017 (**धान और मण्डुवा**)** एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना - खरीफ **2017 (**आलू**,** टमाटर**,** अदरक**,** फ्रेन्चबिन्स एवं मिर्च**)** के अंतर्गत संसूचित फसलों हेतु स्वीकृत **/** वितरित किए गए ऋण खातों को अनिवार्य रूप से बीमित करना सुनिश्चित करें।	**च**) इस विषयक बैंक नियंत्रकों द्वारा अपनी नियंत्रणाधीन शाखाओं को आवश्यक दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।
	छ) सभी अग्रणी जिला प्रबंधक **"वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना"** से संबंधित चेक लिस्ट जिला स्तरीय टॉस्क फोर्स समिति को उपलब्ध कराएं।	**छ**) सभी अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा **"वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन योजना"** से संबंधित चेक लिस्ट जिला स्तरीय टॉस्ट फोर्स समिति को उपलब्ध करा दी गयी है।
	ज) निम्न **जिलों** का ऋण-जमा अनुपात मार्च, 2017 त्रैमास की समाप्ति पर **30 प्रतिशत** से कम रहा है। **जिला** — **मार्च, 2017** अल्मोड़ा — 20% बागेश्वर — 23% पौड़ी — 24% रुद्रप्रयाग — 26% चमोली — 29% संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधक विभिन्न विभागों, नाबार्ड एवं बैंकों के सहयोग से कार्ययोजना तैयार कर इसमें अपेक्षित वृद्धि हेतु सार्थक प्रयास करें।	**ज**) संबंधित अग्रणी जिला प्रबंधकों द्वारा अवगत कराया गया है कि जिले का ऋण-जमा अनुपात बढ़ाने को दृष्टिगत रखते हुए सभी बैंकों **/** शाखाओं को अधिकाधिक ऋण वितरण हेतु समुचित निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

3	**नाबार्ड हेतु कार्य बिंदु** : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वर्ष **2022** तक किसानों की आय दोगुना करने हेतु सुझाए गए सात बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए नाबार्ड द्वारा शासन के सहयोग से समक्ष समिति का गठन किया जाना है।	नाबार्ड द्वारा वर्ष **2022** तक किसानों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से **Crop loan & Farm Mechanisation, Water Resources, Horticulture, Animal Husbandry** एवं **Agro and Food Processing** पर आधारित **5** समितियों का गठन किया गया है।
4	सभी बैंक नियंत्रक, **30** जून, **2017** की **त्रैमासिक एस.एल.बी.सी. विवरणी 1-**46 पूर्णत: जाँच करने के उपरांत एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट **www.slbcuttarakhand.com** पर सही एवं वास्तविक आँकड़े, दिनांक 15 **जुलाई**, 2017 तक ऑन-लाइन प्रेषित करें। (**कार्रवाई - सभी बैंक**)	बैंकों द्वारा एस.एल.बी.सी. की वेबसाइट पर ऑन-लाइन डाटा **25** जुलाई, **2017** तक प्रेषित की गयी।

****